

कार्यालय कलेक्टर ( निर्वाचन) जिला भिण्ड (म.प्र.)

भिण्ड, दिनांक 01/02/2019

क्रमांक क्यू/25/लो.स.निर्वा/2019/263 में छोटे सिंह, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला भिण्ड लोकसभा निर्वाचन 2019 से संबंधित कार्यों हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-20 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुये कॉलम क्रमांक-2 में दर्शाये गये अधिकारियों को कॉलम क्रमांक-4 के लिये प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ।

// आदेश //

क्र.	अधिकारी का नाम, पद नाम, दूरभाष क्रमांक	सहयोगी अधिकारी/ कर्मचारी का नाम पद नाम	निर्वाचन कार्य जो उनके द्वारा संपादित करना है।
1	2	3	4
1	श्री तरुण भटनागर अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी प्रभारी अधिकारी कानून व्यवस्था एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी मो.नं. 94251-91559	1. श्री गुरुकरन सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं उनका स्टॉफ 2. श्री बृजराज सिंह सहा.ग्रेड-2, कलेक्ट्रेट 3. श्री संजीव जैन, सहायक ग्रेड-3 कलेक्ट्रेट 4. श्री महेन्द्र सिंह भदौरिया, सहायक ग्रेड-3 कलेक्ट्रेट	कानून व्यवस्था का संपूर्ण कार्य- 1. शस्त्र जमा कराये जाने हेतु समस्त कार्यवाहियां एवं जिले के ऐसे शस्त्र धारकों का लाइसेंस जो कि दूसरे प्रदेश से जारी हुआ है, उसका जिले में रजिस्ट्रेशन एवं उनका जमा करने की कार्यवाही। 2. धारा-144 के अंतर्गत समस्त कार्यवाही 3. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा -127-क संबंधित मुद्रकों एवं प्रकाशकों से संबंधित कार्य एवं निगरानी तथा की गई कार्यवाही का दैनिक प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) समस्त से प्राप्त कर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल की ओर भेजना। 4. प्रेस मालिकों की जिला स्तरीय मीटिंग बुलाना उनके द्वारा प्रिंट किये जाने वाले पम्पलेट, पोस्टर आदि की जानकारी दिये जाने के संबंध में निर्देश प्रसारित करना। 5. सम्पत्ति विरूपण की कार्यवाही एवं प्रतिवेदन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र.भोपाल को भेजना। 6. कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत समस्त कार्यवाही। 7. पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से प्रतिदिन प्रातः 9 बजे संपर्क कर उनके स्तर से कानून व्यवस्था संबंधी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में जानकारी भरी जाने संबंधी पुष्टि कर एक प्रति प्राप्त करना। 8. विशिष्ट व्यक्तियों के नगर आगमन के समय पायलट एवं फोलो गार्ड की व्यवस्था करना, कार्यपालिक मजिस्ट्रे नियुक्ति करना एवं सत्कार शाखा से संबंधित समस्त कार्य 9. निर्वाचन संबंधी समस्त प्रबंधकीय व्यवस्था जैसे - मतदान दल गठन, प्रशिक्षण, यातायात, ईवीएम., रेण्डमाईजेशन, पोस्टल बैलेट/ईडीसी, एमसीसी, प्रेक्षक व्यवस्था, व्यय निगरानी, मानदेय वितरण, व्यय लेखा। 10. होमगार्ड कॉल आउट। 11. अभ्यर्थियों को पुलिस/सुरक्षा उपलब्ध करना। 12. अन्तरराज्यीय बैटक व्यवस्था। 13. मतदान केन्द्रों एवं मतगणना स्थल पर पुलिस बल एवं सेक्टर अधिकारियों को सेक्टर मोबाइल बल उपलब्ध कराना। 14. निर्वाचन के दौरान बाहर से आने वाले पुलिस तथा अन्य सुरक्षा बलों के ठहरने के लिये धर्मशालाओं, कॉलेज आदि का अधिग्रहण संबंधित संपूर्ण कार्यवाही। 15. वल्लरेविलटी मैपिंग एवं क्रिटिकल मतदान केन्द्र चिन्हित करना। 16. क्रिटिकल मतदान केन्द्रों पर तैनात किये जाने वाले बल व्यवस्था के लिये पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने के तत्काल पश्चात् 24 घंटे के अंदर मतदान केन्द्रवार फोर्स डिप्ल्यामेंट प्लान प्राप्त करना। 17. निर्वाचन के संबंध में दैनिक प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक से प्राप्त कर आयोग/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भेजना। 18. आचरण संहिता का पालन कराना एवं सभी प्रकार की टीमों का गठन करना।

